भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5053
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः पीएमएफबीवाई के अंतर्गत लंबित बीमा दावे

5053. श्री अमरा रामः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत चार वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत किन-किन जिलों में किसानों के बीमा दावे लंबित हैं और इसका भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ख) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उपग्रह के माध्यम से दावों के निर्धारण को कार्यान्वित किया गया है और चना और सरसों जैसी फसलों के लिए शीतकाल के दौरान उपग्रह के माध्यम से नुकसान का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा क्योंकि वे हरी दिखाई देती हैं और उनके बीज विकसित नहीं हुए होते हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत अधिकांश दावों का निपटान बीमा कंपनियों द्वारा योजना के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। तथापि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के दौरान, बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण दावों का भुगतान न होना, भुगतान में देरी होना या कम भुगतान होना; उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने में देरी, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न करना आदि जैसी कुछ समस्याएं सामने आईं, जिनका योजना के प्रावधानों के अनुसार उचित माध्यम से समाधान किया गया।

दावा संवितरण प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करने के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। यह मॉड्यूल भारत सरकार को देय दावों, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों की जानकारी देता है। इसका उपयोग दावों की निगरानी के लिए किया जाता है, जो पहले संभव नहीं था। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान किया जा सके। खरीफ 2024 से, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो 12% का दंड स्वचालित रूप से गणना करके राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से लगाया जाएगा। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर स्वचालित गणना वाले दंड के कार्यान्वयन का यह पहला सीजन है और विभाग इसके प्रवर्तन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

खरीफ 2022 से पहले, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों का जिलावार ब्यौरा नहीं रखा जाता था। इसलिए, पिछले चार वर्षों यानी 2020-21 से 2023-24 के दौरान रिपोर्ट किए गए दावों और किसानों को भुगतान किए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ख): गांव/ग्राम पंचायत को बीमा के इकाई क्षेत्र में कमी के कारण फसल कटाई प्रयोगों की संख्या में वृद्धि, राज्यों के पास जनशक्ति/इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, फसल कटाई प्रयोगों को आयोजित करने के लिए उपलब्ध कम समय, मैनुअल डेटा संग्रह और प्रेषण के परिणामस्वरूप दावों की गणना और निपटान में देरी जैसी विभिन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उपज के आकलन में प्रौद्योगिकी को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी) के माध्यम से किए गए विभिन्न पायलट अध्ययनों के आधार पर, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उपज का आकलन करने में मदद के लिए रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान में क्रमिक स्थानांतरण के लिए यस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली) को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। यसटेक के तहत, रिमोट सेंसिंग डेटा, मिट्टी की नमी डेटा आदि जैसे विभिन्न इनपुट का उपयोग करके विभिन्न मॉडल विकसित और कार्यान्वित किए गए हैं। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए और खरीफ 2024 से सोयाबीन की फसल के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में 30% महत्व अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाना है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे 10 प्रमुख राज्यों ने खरीफ 2024 सीजन के लिए यस-टेक को अपनाया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना यस-टेक में शामिल होने की प्रक्रिया में हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यस-टेक के माध्यम से 100% उपज का अनुमान लगाने का निर्णय लिया है। इससे योजना के तहत दावों की सटीक और समय पर गणना और निपटान में मदद मिल रही है।

अनुबंध

पिछले चार वर्ष अर्थात 2020-21 से 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रिपोर्ट किए गए और भुगतान किए गए दावों का राज्यवार विवरण - 31.01.2025 तक की स्थिति के अनुसार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रिपोर्ट किये गये दावे	भुगतान किये गये दावे
	(रु. करोड़ में)	
आंध्र प्रदेश	2,398.14	567.02
असम	560.93	520.94
छत्तीसगढ़	3,376.59	3,372.98
गोवा	0.00	0.00
हरियाणा	5,787.53	5,736.12
हिमाचल प्रदेश	229.17	224.05
जम्मू एवं कश्मीर	96.97	94.20
कर्नाटक	6,757.27	6,695.49
केरल	403.36	397.20
मध्य प्रदेश	12,692.90	12,296.04
महाराष्ट्र	20,352.26	19,725.50
मणिपुर	5.13	5.08
मेघालय	9.12	8.71
ओडिशा	2,475.63	2,404.45
पुदुचेरी	26.18	24.73
राजस्थान	16,708.94	16,263.53
सिक्किम	1.10	0.56
तमिलनाडु	5,167.54	5,145.95
त्रिपुरा	6.10	5.51
उत्तर प्रदेश	2,891.19	2,839.48
उत्तराखंड	643.07	637.89
कुल (अखिल भारत)	**80,589.11**	**76,965.42**

*****